



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092024-256872
CG-DL-E-03092024-256872

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3412]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 2, 2024/भाद्र 11, 1946

No. 3412]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 2, 2024/ BHADRA 11, 1946

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2024

का.आ. 3742(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 353 तारीख 08.02.2024 जो भारत के साधारण राजपत्र तारीख 24.02.2024 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा असम राज्य में देरगाँव – दीमापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरान्त निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइने बिछाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला : गोलाघाट			राज्य : असम			
सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सरूपथार	सरूपथार	बेबेजिया	196	00	14	54
			191	00	05	81
			334	00	11	73
			177	00	04	40
			176	00	04	00
			175	00	05	61
			174	00	04	67
			168	00	20	08
			169	00	11	45
			312	00	11	79
			319	00	08	75
			339	00	26	34
			145	00	10	78
			129	00	11	47
			131	00	01	28
			118	00	12	09
			109	00	17	26
			110	00	05	58
			99	00	06	22
			100	00	05	38
			90	00	14	76
			83	00	15	01

			72	00	06	97
			73	00	06	59
			62	00	13	60
			63	00	09	02
			53	00	09	31
			54	00	07	88
			42	00	22	07
			25	00	11	80
			26	00	08	74
			27	00	10	85
			8	00	07	85
			128	00	21	59
सरूपथार	सरूपथार	बोरबली	11	00	15	68
			10	00	07	31
			330	00	10	94
			22	00	17	34
			36	00	39	57
			35	00	08	81
			53	00	09	86
			54	00	03	58
			55	00	11	15
			56	00	17	17
			57	00	24	24
			58	00	04	44
			59	00	03	81
			60	00	14	94
			97	00	07	57
			98	00	04	25
			99	00	17	59
			100	00	05	31
			122	00	05	09
			123	00	05	24
			124	00	05	13

			125	00	03	57
			126	00	04	39
सरूपथार	बारपथार	बोर्डुबी	33	00	24	44
			39	00	02	51
			38	00	01	03
			50	00	06	26
			158	00	10	92
			51	00	10	76
			52	00	14	93
			54	00	17	45
			55	00	19	90
			34	00	13	09
			46	00	18	31
			45	00	13	79
			43	00	07	09
			181	00	30	67
			182	00	00	91
			170	00	06	88
सरूपथार	बारपथार	रेंगमा ग्रांट	108	00	14	16
			107	00	12	40
			106	00	12	53
			105	00	15	26
			104	00	13	21
			103	00	16	41
			102	00	18	10
			101	00	16	97
			100	00	17	06
			99	00	18	21
			98	00	11	41
			97	00	05	65
			91	00	09	21
			92	00	14	88
			93	00	13	66

			94	00	16	27
			95	00	18	74
			96	00	15	40
			167	00	08	53
			111	00	05	03
			112	00	07	14
			87	00	01	03
			89	00	00	34
			90	00	04	61
			136	00	01	39

[फा. सं. एल – 14014-18-2023-जीपी-II (ई-47090)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th August, 2024

S.O. 3742(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 353 dated 08.02.2024, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Ordinary Gazette of India dated the 24.02.2024, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through Dergaon-Dimapur Gas Pipeline in the state of Assam by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL), free from all encumbrances.

SCHEDULE

District: Golaghat			State: Assam			
Circle	Mouza	Name of Village	Dag No.	Area		
				Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sarupathar	Sarupathar	Bebejia	196	00	14	54

			191	00	05	81
			334	00	11	73
			177	00	04	40
			176	00	04	00
			175	00	05	61
			174	00	04	67
			168	00	20	08
			169	00	11	45
			312	00	11	79
			319	00	08	75
			339	00	26	34
			145	00	10	78
			129	00	11	47
			131	00	01	28
			118	00	12	09
			109	00	17	26
			110	00	05	58
			99	00	06	22
			100	00	05	38
			90	00	14	76
			83	00	15	01
			72	00	06	97
			73	00	06	59
			62	00	13	60
			63	00	09	02
			53	00	09	31
			54	00	07	88
			42	00	22	07
			25	00	11	80
			26	00	08	74
			27	00	10	85
			8	00	07	85
Sarupathar	Sarupathar	Borbali	128	00	21	59
			11	00	15	68
			10	00	07	31
			330	00	10	94
			22	00	17	34
			36	00	39	57
			35	00	08	81
			53	00	09	86

			54	00	03	58
			55	00	11	15
			56	00	17	17
			57	00	24	24
			58	00	04	44
			59	00	03	81
			60	00	14	94
			97	00	07	57
			98	00	04	25
			99	00	17	59
			100	00	05	31
			122	00	05	09
			123	00	05	24
			124	00	05	13
			125	00	03	57
			126	00	04	39
Sarupathar	Barpathar	Bordubi	33	00	24	44
			39	00	02	51
			38	00	01	03
			50	00	06	26
			158	00	10	92
			51	00	10	76
			52	00	14	93
			54	00	17	45
			55	00	19	90
			34	00	13	09
			46	00	18	31
			45	00	13	79
			43	00	07	09
			181	00	30	67
			182	00	00	91
			170	00	06	88
Sarupathar	Barpathar	Rengma Grant	108	00	14	16
			107	00	12	40
			106	00	12	53
			105	00	15	26
			104	00	13	21
			103	00	16	41
			102	00	18	10
			101	00	16	97

			100	00	17	06
			99	00	18	21
			98	00	11	41
			97	00	05	65
			91	00	09	21
			92	00	14	88
			93	00	13	66
			94	00	16	27
			95	00	18	74
			96	00	15	40
			167	00	08	53
			111	00	05	03
			112	00	07	14
			87	00	01	03
			89	00	00	34
			90	00	04	61
			136	00	01	39

[F. No. L-14014-18-2023-GP-II (E-47090)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.